रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112022-240033 CG-DL-E-04112022-240033

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4909]

No. 49091

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

रेल मंत्रालय अधिसूचना

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत

छत्तीसगढ, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5128(अ).—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया हैं, जो कि विशेष रेल परियोजना अर्थात् गवरारोड से पेण्ड्रारोड नई लाईन परियोजना (135 किमी) (कोरबा जिला) के, छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक हैं, एतद्द्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन, पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा; ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अतिरिक्त कलेक्टर, कोरबा को जिलाधीश कार्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगें तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जॉच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अनअनुज्ञात कर सकेगा; उक्त अधिन्यम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्योरे उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता हैं।

7320 GI/2022 (1)

अनुसूची
छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाईन—विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, गेवरारोड से पेण्ड्रारोड (135 किमी) (कोरबा जिला) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरणः—

जिला का नाम:— कोरबा				जिला का नाम:— कोरबा				
तहसील का नाम:— कटघोरा					तहसील का नाम:– कटघोरा			
क.	ग्राम का	खसरा नं.	अर्जित	क.	ग्राम का	खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	नाम		रकबा (हे0)		नाम		(हे०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	मड़वाढोढ़ा	1/4	0.220					
2	पुरेना	146/1	0.550	2	पुरेना	111	0.020	
		163/1	0.114			316 329/3	0.008	
		164	0.040			320	0.016	
		160/2	0.016			329/5	0.040	
3	ढूरेना	42	0.020	3	ढूरेना	37/4	0.020	
4	दीपका	13/8, 37/8 38/8, 39/8	0.106	4	दीपका	416/98	0.020	
5	देवगांव	551/1	0.080	5	देवगांव	552/2/क	0.109	
		552/1/क	0.065			2	0.012	
6	कोलिहामुड़ा	82/2 83/2 86/2	0.069					

7	डोंगरी	206/1ख 217/2 ख 221/2	0.028					
8	जवाली	741/1	0.266					
तहसी	तहसील का नाम:– पाली							
9	मदनपुर	350/22	0.265					
10	नॉनबांका	159/6 162/10	0.062 0.150	10	नॉनबांका	160/3	0.034	
		160/1	0.285			162/9	0.083	
		100/1	0.263			164/3	0.057	
तहसील का नाम:– पोंडीउपरोड़ा								
11	कोरबी	38/2	0.243					
12	मल्दा	703 704/3	0.202					

<u>कुल भूमि - 3.200 हे0</u>

[फा. सं. सी.ए.ओ. / सि / बी.एस.पी / ईस्ट—वेस्ट रेल कॉरीडोर / 1113] आर.एन.सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर

MINISTRY OF RAILWAYS NOTIFICATION

Notice under Section 20 A of the Railways Act 1989

Chhattisgarh, the 2nd November, 2022

S.O. 5128(E).—In exercise of Powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989 (24 of 89) (hereinafter referred as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway project, namely Gevraroad To Pendraroad (135 Km) in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land; Any person interested in the said land may, within a period of 30 days for the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said act; Every objection shall be made to the competent Authority, namely, Additional Collector, Korba, Collectorate office, Korba, Chhattisgarh in writing, and shall set out ground thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections; Any order made by the Competent Authority under sub-section(2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely, Gevraroad To Pendraroad New Rail Line Project (135 Km) (for Korba District) in the State of Chhattisgarh.

Name of District : Korba Name of Tahsil : Katghora					Name of District : Korba Name of Tahsil : Katghora				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Madwadhoha	1/4	0.220						
2	Purena	146/1	0.550	2	Purena	111	0.020		
		163/1	0.114			316 329/3	0.008		
		164	0.040			320	0.016		
		160/2	0.016			329/5	0.040		
3	Dhurena	42	0.020	3	Dhurena	37/4	0.020		
4	Dipka	13/8,37/8 38/8, 39/8	0.106	4	Dipka	416/98	0.020		
5	Devgaon	551/1	0.080	5	Devgaon	552/2/ka	0.109		
		552/1/ka	0.065			2	0.012		
6	Kolihamuda	82/2 83/2 86/2	0.069						
7	Dongri	206/1 kha 217/2 kha 221/2	0.028						
8	Jawali	741/1	0.266						
Name	of Tahsil : Pali	•		1					
9	Madanpur	350/22	0.265						
10	Nanbanka	159/6	0.062	10	Nanbanka	160/3	0.034		
		162/10	0.150			100/3	0.034		
		160/1	0.285			162/9	0.083		
		100/1	0.263			164/3	0.057		

Name of Tahsil : Podiuproda						
11	Korbi	38/2	0.243			
12	Malda	703 704/3	0.202			

Total Land:- 3.200 Hectare

[F. No. CAO/C/BSP/East West Rail Corridor/1113]

R.N. SUNKAR, Chief Administrative Officer, Con. S.E.C.R., Bilaspur